(190)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/इंदौर/स्टांप अधि./2017/1878 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–3–2017 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प इंदौर–1 प्रकरण कमांक 72/बी–105/2015–16/48 ख.

ए.टी.सी. टेलीकॉम टॉवर कार्पोरेशन प्रा.लि.
चतुर्थ मंजिल डी.बी. मॉल के सामने, भोपाल
द्वारा प्रबंधक राकेश सिंह .....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा प्रमुख सचिव
बोर्ड आफ रेवेन्यु, वल्लभ भवन भोपाल
2– कमिश्नर, नगर निगम, देवास
3– कलेक्टर आफ स्टाम्प, देवास
4– प्रतीक पुत्र रामू प्रसाद वर्मा
निवासी 28, गोदगा कॉलौनी, इंदौर .....अनावेदकगण

श्री अजय मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प इंदौर–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महानिरीक्षक पंजीयन, म.प्र. भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में निरीक्षण दल द्वारा नगर निगम, इंदौर के स्टाम्प शुल्क संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण किये जाने पर प्रश्नाधीन सम्पत्ति के संबंध में आवेदक एवं

अनावेदक कमांक 4 के मध्य 100/– रूपये के मुद्रा पत्र पर विलेख निष्पादित पाये जाने पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 72/बी–105/2015–16/48 ख दर्ज कर दिनांक 14–3–2017 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 20,060/– एवं अधिनियम की धारा 40 ख के अंतर्गत शास्ति रूपये 5000/– कुल राशि 25,060/– रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 20–12–2017 को अनावेदक शासन के अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के विद्वान अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों, निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा लीव एण्ड लायसेंस एग्रीमेन्ट निष्पादित कराया गया है, जिससे भवन/भूमि पर आवेदक को किसी प्रकार के कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए अधिनियम की अनुसूची 1–क की धारा 6 (एच) के अन्तर्गत विधिवत 100/– रूपये मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है, जो कि उचित मुद्रांक शुल्क है ।

(2) अधिनियम की धारा 33 एवं 40 (ख) इस प्रकरण में लागू नहीं होती है, क्योंकि आवेदक द्वारा पट्टे का निष्पादन नहीं कराया गया है और उक्त धारायें पट्टे पर लागू होती हैं ।

(3) जिस दिनांक 30–12–2011 को आवेदक द्वारा दस्तावेज निष्पादित किया गया था, उस समय अधनियम की अनुसूची 1–क की धारा 6 (एच) के अन्तर्गत 100/– रूपया ही मुद्रांक शुल्क देय था !

(4) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी किया गया है, जबकि उक्त धारा इस प्रकरण में लागू नहीं होती है, क्योंकि प्रश्नाधीन दस्तावेज न तो परिबद्ध किया गया है है और न ही किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

(5) अधिनियम की धारा 40(ख) के अन्तर्गत जिस पक्षकार के पास मूल दस्तावेज होती है, उस व्यक्ति से कलेक्टर आफ स्टाम्प को अधिनियम की धारा 40(ख) के अन्तर्गत मूल दस्तावेज की मांग करना होती है । इस प्रकरण में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा न तो मूल दस्तावेज की मांग की गई है और न ही किसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

(6) निष्पादित दस्तावेज लायसेंस डीड है, लीज डीड नहीं है । लीज की कोई परिभाषा अधिनियम में परिभाषित नहीं है ।

(7) अधिनियम की धारा 48(ख) के अंतर्गत अनुबंध के निष्पादन दिनांक से 5 वर्ष के अंतर्गत ही उक्त लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क संबंधित प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने 5 वर्ष पश्चात प्रकरण दर्ज कर आलोच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) अधिनियम की धारा 2 (16) के अनुसार प्रश्नाधीन लिखत लीज या सब लीज की श्रेणी में परिभाषित नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा किसी अचल सम्पत्ति या उसके किसी भाग को आवेदक को हस्तांतरित नहीं किया गया है ।

(9) प्रश्नाधीन अनुबंध वास्तव में लायसेंस अनुबंध होकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 (डी) के अंतर्गत कम्पनसेशन अनुबंध की श्रेणी में आता है ।

(10) आवेदक (पूर्व में नाम व्योम नेटवर्क्स लि.) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किया गया है ।

(11) आवेदक के पक्ष में नियत समयावधि के लिए अनुबंध निष्पादित हुआ है, स्थायी रूप से नहीं और कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका है कि आवेदक के पक्ष में स्थायी लीज निष्पादित हुआ है ।

तर्कों के समर्थन में (2003) 1 ए.डब्ल्यू.सी., ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 2607, ए.आई. आर. 1959 एस.सी. 1262, (100(2002)डी.एल.टी. 442), (2003)11 एस.सी.सी. 328 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक को कमी मुद्रांक शुल्क करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि चूंकि आवेदक द्वारा कर अपवंचन किया गया था, इसलिए आवेदक पर

शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन दस्तावेज से आवेदक को मोबाईल टॉवर लगाने के लिए 12,200/– रूपये प्रतिमाह की दर से, पंद्रह वर्ष के लिए आवेदक के पक्ष में 100/– रूपये के मुद्रा पत्र पर दस्तावेज निष्पादित हुआ है । प्रश्नाधीन दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुसार उक्त दस्तावेज लीज की श्रेणी में आता है, भले ही दस्तावेज के शीर्षक में लायसेंस अनुबंध अंकित किया गया हो । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा दस्तावेज की अंतवस्तु को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33(क) (चार) के अनुसार कमी मुद्रांक शुल्क 20,060/– रूपये अवधारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । चूंकि आवेदक द्वारा कर अपवंचन किया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत 5000/– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर कुल रूपये 25,060/– जमा करने के आदेश देने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, इंदौर–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर